सं0 सं0–म0 नि0–II–उ0 यो0–99/2022–23 ..16 रा0 (वि0)..

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, *भा0 प्र0 से0*
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, रॉची ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रॉंची, दिनांक 24/07/23

विषय– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन के तहत कुल मो0 954.96 लाख (नौ करोड़ चौवन लाख छियानवे हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में बजट शीर्ष–2405--मछली पालन में उपलब्ध बजटीय उपबंध मो0 960.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध राशि मो0 954.96 लाख (नौ करोड़ चौवन लाख छियानवे हजार) रुपये मात्र के व्यय पर योजना कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना के तहत् मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु पारिश्रमिक का भुगतान, केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, तालाबों के सैटेलाईट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एपलीकेशन, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन, अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया आदि के बीज का संचयन, जलाशय स्तरीय मछुआरों (बिरसा मत्स्य किसानों) के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित), केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट, निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन, देशी मांगुर आदि प्रजातियों का पालन, पर्ल कल्चर, CIFRI, कोलकाता के माध्यम से Scampi fisheries in underutilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट तथा प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे। साथ ही उक्त स्वीकृत राशि से वर्तमान समय में 7500 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों आदि हितधारकों का एक से तीन दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन, 6400 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण, 19000 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन एवं विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तद्नुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार/स्थापनावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 954.96 लाख (नौ करोड़ चौवन लाख छियानवे हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :–

मॉग सं0–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं विपत्र कोड

(राशि लाख रू0 में)

कम	लघु शीर्ष		बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(क)	**लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन**				
	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय	53S24050010120010109	25.000	25.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				
2	19 मुद्रण	53S24050010120010319	11.000	11.000	0.00
3	20 मेला एवं प्रदर्शनी	53S24050010120010320	22.000	22.000	0.00
4	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	53S24050010120010321	15.700	15.700	0.00
5	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S24050010120010323	165.000	165.00	0.00
6	35 प्रशिक्षण व्यय	53S24050010120010335	85.000	84.975	0.025
	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय				
7	59 अन्य व्यय	53S24050010120010759	7.900	7.900	0.00
		उप योग :	**331.600**	**331.575**	**0.025**
(ख)	**लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना**				
	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय	53S24050078920010109	5.000	5.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				
2	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	53S24050078920010321	3.400	3.40	0.00
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S24050078920010323	30.000	30.00	0.00
4	35 प्रशिक्षण व्यय	53S24050078920010335	32.000	31.995	0.005
	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय				
5	59 अन्य व्यय	53S24050078920010759	3.000	3.00	0.00
		उप योग :	**73.40**	**73.395**	**0.005**
(ग)	**लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना**				
	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय	53S24050079620010109	60.000	54.99	5.01
	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				
2	19 मुद्रण	53S24050079620010319	20.000	20.000	0.00
3	20 मेला एवं प्रदर्शनी	53S24050079620010320	33.000	33.000	0.00
4	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	53S24050079620010321	26.900	26.900	0.00
5	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S24050079620010323	240.000	240.00	0.00
6	29 व्यवसायिक सेवाएँ	53S24050079620010329	25.000	25.000	0.00
7	31 परामर्शी शुल्क	53S24050079620010331	10.000	10.000	0.00
8	35 प्रशिक्षण व्यय	53S24050079620010335	110.000	110.000	0.00
9	80 मूल्यांकन	53S24050079620010380	10.000	10.000	0.00
	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय				
10	59 अन्य व्यय	53S24050079620010759	10.100	10.10	0.00
11	81 सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	53S24050079620010781	10.000	10.000	0.00
		उप योग :	**555.000**	**549.99**	**5.01**
		सकल योग :	**960.000**	**954.96**	**5.04**

कुल मो0 954.96 लाख (नौ करोड़ चौवन लाख छियानवे हजार) रुपये मात्र।

3. यह एक चालू प्रकृति की योजना है।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होगें जो राशि की निकासी संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होगें जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय–समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।

6. (क) मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा सम्पादित कार्यों/भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि के विरुद्ध पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। यह पारिश्रमिक कार्य की प्रकृति, क्षेत्रीय भौगोलिक विस्तार आदि के अनुरुप होगा जिसके लिए पूर्व की भांति ही निदेशक मत्स्य द्वारा उपस्थापित प्रस्ताव पर विभाग स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर एक SOP निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात् निर्गत SOP के आलोक में ही मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

(ख) केज कल्चर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं आँकड़ों के संधारण हेतु केज मत्स्य मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में निदेशालय पत्रांक 1546 दिनांक 13.08.2018 द्वारा दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गत किया गया है।

(ग) विभागीय तालाबों में सघन मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायेगा, जिस पर प्रति एकड़ 40,000/– रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिक्री मूल्य निर्धारित कराकर बिक्री की जायगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।

(घ) विगत् वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुरुप इस वर्ष भी राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों तथा विभागीय क्षेत्रीय कर्मियों के लिये मोबाईल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।

(ङ•) अमूर कार्प/जयंती रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन किया जायेगा।

(च) जलाशय स्तरीय 530 मछुआरों के लिए आईडेन्टिटीकार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, **बिरसा मत्स्य किसान** {कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक 1257 दिनांक 23.08.2021 के आलोक में} अंकित होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेंगी।

(छ) प्रचार/प्रसार/पोस्टर/पम्पलेट/बुकलेट/प्रचार–सामग्री/विभागीय पुस्तकें, दस्तावेज आदि की छपाई/मेला/ प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंट्री फिल्म/डेटा इन्ट्री/फोटोग्राफी/सेमिनार/समारोह/कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी/राज्य प्रायोजित समारोह/सेवा शुल्क/तकनीकी सेवा शुल्क/बाह्य श्रोत से प्राप्त की जानेवाली PMU/Block chain technology जैसी अन्य सेवाएँ/विशेषज्ञों का सेवा शुल्क/परामर्श, अनुसंधान तथा तकनीकी सहायता पर व्यय/डी0पी0आर0 तथा योजनाओं आदि के मूल्यांकन पर व्यय आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मत्स्य कृषकों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इंट्री कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा।

(ज) राज्य से पंचायत स्तर तक मत्स्य पालकों के बीच जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसपर 100/–रु0 प्रतिदिन प्रति बिरसा मत्स्य किसान की दर से राशि व्यय की जायेगी।

(झ) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य बीज उत्पादकों तथा हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरुप/सम्मानित करने हेतु अधिकतम् राशि 30,000/–रु0 प्रति चयनित कृषक पुरस्कार के रुप में 12 Paddle Wheel Aerator (विभाग द्वारा अनुमोदित) अथवा मत्स्य बीज पैकेजिंग हेतु ऑक्सीजन सिलिन्डर (accessories सहित) के कय हेतु प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से दी जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा एवं संचिका के माध्यम से संबंधित जिला के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा।

7. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जॉच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही राशि का भुगतान करेंगे।

8. परिशिष्ट–Av में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 7500 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 225/–रु0 की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय, आवासन आदि पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों आदि हितधारकों के एक से तीन दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार तथा रिफ्रेसर कोर्स के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 1500/–रु0 की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/–रु0 की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति व्यक्ति को एवं संस्थागत् व्यय के रुप में 100/– रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा आने–जाने हेतु अधिकतम प्रति व्यक्ति 600/–रु0 अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला/सेमिनार की राशि से आवश्यकतानुसार आर0एफ0एफ0 लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों, हैचरी संचालकों, मत्स्य विकेताओं, विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों आदि के समूहों की भी कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन किया जा सकेगा।

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों/मत्स्य विकेताओं आदि को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/–रु0 प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/– रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 100/–रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन अनुमानित संस्थागत् व्यय के रुप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 600/–रु0 मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय रॉची तक) भुगतान किया जायेगा।

प्रगतिशील मत्स्य कृषकों, मत्स्य विकेताओं आदि लाभुकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण भत्ता के साथ–साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन–भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा आदि का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा।

राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा मॉगा गया संस्थागत् व्यय आदि का भुगतान भी इससे किया जा सकेगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने हेतु विषय–वस्तु विशेषज्ञों/अतिथि व्याख्याताओं/प्रशिक्षकों/वैज्ञानिकों के आने–जाने का व्यय (TA/DA) तथा उनके पद के अनुरुप मानदेय का भुगतान लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत् विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–31–परामर्शी शुल्क के तहत् अनुमान्य होगा।

घ. परिशिष्ट – IV में आपूर्ति एवं सामग्री मद में कर्णांकित राशि का व्यय मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के लिए आवश्यक सामग्रियों के क्रय के लिए भी किया जा सकेगा। सामग्रियों का क्रय GeM के माध्यम से किया जाना है। वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0 2353 दिनांक 08.10.2021 के आलोक में GeM Portal पर सामग्रियों/सेवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में GeM के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त कर वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/आदेशों/संकल्पों के आलोक में सामग्रियों/सेवाओं की अभिप्राप्ति की जाएगी।

ङ. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0–773 दिनांक 20.06.2013 के तहत् मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

च. कोविड–19 के तहत् सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर जारी किये जाने वाले प्रावधानों तथा माप–दण्डों के अंतर्गत ही इस योजना अंतर्गत गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान नव–चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रुप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय–समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

10. परिशिष्ट–V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :

क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण: फैक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पॉच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 40/– रु0 प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो0 2.00 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिक्री की जायगी।

ख. परिशिष्ट–V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप पूर्व संचालित एवं नए रंगीन मछली इकाई हेतु पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची की होगी।

ग. प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम के रख–रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन, विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर की तैयारी तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आई0 टी0–बेस्ड कार्यक्रम/मत्स्य निदेशालय के वेबसाईट का रख–रखाव/मोबाईल एप्प/अन्य एप्प तथा साफ्टवेयर विकसित कराया जायेगा।

11. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्गत राज्यादेश संख्या 54 रा0 (वि0) दिनांक 29.03.2023 के आलोक में CIFRI, कोलकाता से प्राप्त Improving livelihood of tribal communities

through scampi fisheries enhancement technologies in underutilized reservoir resources of Jhakhand के DPR के अधीन राज्य के तीन जलाशयों (गुमला – मसरिया, हजारीबाग – घघरा तथा सिमडेगा– केलाघाघ) में Pilot Project के रुप में Giant Freshwater Prawn fisheries के पालन हेतु द्वितीय वर्ष का अध्ययन किया जाएगा।

(i) CIFRI, कोलकाता द्वारा इस परियोजना के लिए वर्षवार/कार्यवार प्रस्तावित बजट के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना के तहत् उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन प्रथम वर्ष की शेष राशि तथा द्वितीय वर्ष हेतु आवश्यक राशि का व्यय उपयुक्त मदों में निम्न रुप से किया जायेगा –

(in lakhs)

Sl. No	Major Heads	मद	Financial Details (in lakh Rs.)						
			1st Year			2nd Year			Total (6 + 8)
			Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2022-23 vide Sanction Order No. 54 Ra. (V.) dated 29.03.2023	Sanctioned in 2023-24 vide Current Sanction Order	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2023-24 vide Current Sanction Order	Rest amount to be sanctioned	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trained Manpower – Young Professional (YP – I) (3 nos.) @ Rs. 25,000/- per month	मानदेय	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	**9.00**
2	Procurement of pen, 0.4 ha / reservoir and maintenance	आपूर्ति एवं सामग्री	7.00	7.00	0.00	0.50	0.50	0.00	**0.50**
3	Seed procurement @ 500 nos / ha		6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	**6.00**
4	Supplementary feeding cost @ 8 % BW in pen (PL		1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	**1.50**
5	TA / DA of CIFRI personnel (2 scientists, 1 technical staff, contractual staff per tour)	प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण)	3.00	0.00	3.00	2.50	2.50	0.00	**5.50**
6	Minor items and consumables (Chemicals, glasswares, plastic wares etc.)	आपूर्ति एवं सामग्री	6.00	6.00	0.00	4.00	4.00	0.00	**4.00**
7	Operational contingencies (Vehicle / boat hiring, experimental fishing, labour charges etc)	अन्य व्यय	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00*	**3.00**
8	Conducting Inception & Closing workshop – 2 no	प्रशिक्षण	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	**2.50**
9	Capacity building / Mass Awareness Program 3 nos	प्रशिक्षण	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	**4.00**
10	Knowledge support charges	परामर्शी शुल्क	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	**4.00**
11	Documentation & Report preparation		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		Sub Total	**42.00**	**29.50**	**12.50**	**29.50**	**27.50**	**2.00***	**40.00**
12	Institutional charges (@10%)	प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण)	4.20	0.00	4.20	2.95	2.95	0.00	**7.15**
		Total	**46.20**	**29.50**	**16.70**	**32.45**	**30.45**	**2.00***	**47.15**

* चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अथवा आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवश्यक बजट उपबंध उपयुक्त मदों में प्राप्त कर राशि का व्यय किया जायेगा।

(ii) CIFRI, कोलकाता के माध्यम से Improving livelihood of tribal communities through scampi fisheries enhancement technologies in underutilized reservoir resources of Jhakhand के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु पूर्व निर्गत राज्यादेश संख्या 54 रा0 (वि0) दिनांक 29.03.2023 की कंडिकाओं '7' से '13' एवं कंडिका '17' का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची होंगे जो आवंटित राशि के विरुद्ध संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। CIFRI, कोलकाता से माँग के अनुरुप तथा प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से CIFRI, कोलकाता को राशि उपलब्ध करायेंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही ज्ञापांक–रा0 यो0 प्रा0–35/21 राँची, दिनांक 01.03.2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 40 रा0 (वि0)/मत्स्य दिनांक 22.03.2021 निर्गत है। इस वित्तीय वर्ष में भी संलग्न परिशिष्टों में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप निम्न कार्य किया जायेगा :

(क) जलाशयों के केज कल्चर में केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उन्हें MMD Approved, 16.5 Kilos Floatability तथा 80 X 37 X 10 Cms Size के Soft neopolene foam & airex filling का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में निदेशक मत्स्य द्वारा लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 1792/– रुपये है। जबकि पूर्व आकलित दर 1600/–रू0 है। अतएव लाईफ जैकेट की पूर्व आकलित दर (मो0 1600/–रू0) पर ही 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम मो0 1200/–रू0) देय होगा तथा 25 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके द्वारा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है तथा लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये लाईफ जैकेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा लाईफ जैकेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(ख) निजी क्षेत्र के चयनित कृषकों के तालाबों में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरुप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/– रु0 मात्र के दर पर महाझींगा का पालन किया जाएगा। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 3,20,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/– रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 2,80,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/– रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक

(अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा–निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा। लाभुकों के चयन के कम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका कियान्वयन कराया जाय।

(ग) झारखण्ड स्टेट एपलीकेशन सेंटर, धुर्वा, राँची की सहायता से राज्य के तालाबों के सैटेलाईट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एपलीकेशन विकसित किये जाने हेतु मो0 10.62 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जाएगा।

(घ) निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी माँगूर पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरुप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/– रु0 मात्र का दर होगा। इस हेतु झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 3,20,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/– रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 2,80,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/– रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा–निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा।

लाभुकों के चयन के कम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका कियान्वयन कराया जाय।

13. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत् इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

14. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक क्रय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।

15. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

17. वित्तीय वर्ष 2022–23 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 में कुल स्वीकृत राशि मो0 1150.00 लाख (संशोधित बजट मो0 1000.00 लाख) रु0 मात्र के विरूद्ध मो0 647.47 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

18. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका कियान्वयन कराया जाय।

20. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21. वित्तीय वर्ष 2022–23 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जायगा। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।

22. वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।

23. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

24. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0 –01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

25. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

26. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

27. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 16 म0 (वि0) /रॉची, दिनांक 24/07/23

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 16 म0 (वि0) /रॉची, दिनांक 24/07/23

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 16 म0 (वि0) /रॉची, दिनांक 24/07/23

प्रतिलिपि : योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/आ0 वि0 सलाहकार] कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते–09–मानदेय			विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री													विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–19–मुद्रण	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–20–मेला एवं प्रदर्शनी	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–21–सेमिनार / समारोह / कार्यशाला / मत्स्य कृषकों की गोष्ठी		विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		मत्स्य मित्रों को कार्य के अनुरुप पारिश्रमिक का भुगतान	केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता		विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिवार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रुप में अमूर कार्प / जयंति रोहू / तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन		जलाशय स्तरीय मछुआरों (बिरसा मत्स्य किसान) के लिये आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित)		कार्यालय उपकस्कर, जाल आदि	केज मत्स्य पालकों हेतु लाईफ जैकेट		निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन		पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, प्रचार–सामग्री, विभागीय पुस्तकें, दस्तावेज आदि की छपाई का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मेला, प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डेटा इन्ट्री, फोटोग्राफी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मत्स्य कृषकों (बिरसा मत्स्य किसानों) की गोष्ठी का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	पुरस्कार / सम्मान		
		वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	केज मित्रों का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)					भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	हजारीबाग	0.750	3	3.924	2.50	1.000	403	2.108	6500	0.130	30	0.045	0.500	20	0.240	3	3.840	1.000	2.000	760	1.520	2	0.600	**17.6570**
2	रामगढ़	0.500	3	3.924	1.00	0.400	282	1.472	3000	0.060	10	0.015	0.450	20	0.240	2	2.560	1.000	2.000	620	1.240	2	0.600	**14.4610**
3	कोडरमा	0.500	2	2.616	1.50	0.600	283	1.508	11650	0.233	30	0.045	0.450	186	2.232	3	3.840	1.000	2.000	680	1.360	2	0.600	**16.9840**
4	चतरा	0.500	0	0.000	1.00	0.400	312	1.622	4500	0.090	10	0.015	0.450	30	0.360	2	2.560	1.000	2.000	620	1.240	2	0.600	**10.8370**
5	बोकारो	0.750	3	3.924	1.50	0.600	362	1.872	15500	0.310	30	0.045	0.450	0	0.000	3	3.840	1.000	2.000	690	1.380	2	0.600	**16.7710**
6	गिरिडीह	0.500	1	1.308	1.00	0.400	252	1.322	12500	0.250	20	0.030	0.450	50	0.600	2	2.560	1.000	2.000	680	1.360	2	0.600	**12.3800**
7	धनबाद	0.750	2	2.616	1.00	0.400	345	1.880	7500	0.150	30	0.045	0.450	40	0.480	3	3.840	1.000	2.000	690	1.380	2	0.600	**15.5910**
8	गोड्डा	0.500	0	0.000	0.50	0.200	282	1.472	8000	0.160	10	0.015	0.450	50	0.600	2	2.560	1.000	2.000	600	1.200	2	0.600	**10.7570**
9	पलामू	0.688	0	0.000	1.50	0.600	342	1.772	5500	0.110	15	0.023	0.450	30	0.360	3	3.840	1.000	2.000	650	1.300	2	0.600	**12.7425**
10	गढ़वा	0.500	0	0.000	1.50	0.600	302	1.572	5500	0.110	10	0.015	0.450	20	0.240	3	3.840	1.000	2.000	520	1.040	2	0.600	**11.9670**
11	देवघर	0.750	0	0.000	1.00	0.400	362	1.872	4000	0.080	25	0.038	0.470	0	0.000	4	5.120	1.000	2.000	1340	2.680	3	0.900	**15.3095**
	कुल योग :	**6.688**	**14**	**18.312**	**14.00**	**5.600**	**3527**	**18.472**	**84150**	**1.683**	**220**	**0.330**	**5.020**	**446**	**5.352**	**30**	**38.400**	**11.000**	**22.000**	**7850**	**15.700**	**23**	**6.900**	**155.4570**

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 एक करोड़ पचपन लाख पैंतालीस हजार सात सौ रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते–09–मानदेय				विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री													विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–19–मुद्रण	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–20–मेला एवं प्रदर्शनी	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–21–सेमिनार/समारोह/कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी			विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–31–परामर्शी शुल्क	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–80–मूल्यांकन	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		मत्स्य मित्रों को कार्य के अनुरुप पारिश्रमिक का भुगतान	केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता		तालाबों के सैटेलाईट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एप्लीकेशन	विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिचार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रुप में अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन		जलाशय स्तरीय मछुआरों (बिरसा मत्स्य किसान) के लिये आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित)		कार्यालय उपस्कर, जाल आदि	केज मत्स्य पालकों हेतु लाईफ जैकेट		निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन		पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, प्रचार–सामग्री, विभागीय पुस्तकें, दस्तावेज आदि की छपाई का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मेला, प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डेटा इन्ट्री, फोटोग्राफी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मत्स्य कृषकों (बिरसा मत्स्य किसानों) की गोष्ठी		सेमिनार, समारोह, कार्यशाला, राज्य प्रायोजित समारोह आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	सेवा शुल्क, तकनीकी सेवा शुल्क, बाह्य श्रोत से प्राप्त की जानेवाली PMU/Block chain technologyजैसी अन्य सेवाएँ आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	विशेषज्ञों का सेवा शुल्क, परामर्श, अनुसंधान तथा तकनीकी सहायता पर व्यय आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	योजनाओं के मूल्यांकन पर व्यय आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	पुरस्कार/ सम्मान		
		वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	केज मित्रों का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)					भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	रांची	0.75	2	2.616	0.000	2.00	0.800	310	1.694	7500	0.150	40	0.0600	0.550	50	0.600	9	11.520	1.000	2.000	1000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.900	**24.6400**
2	खूंटी	0.75	1	1.308	0.000	0.00	0.000	131	0.686	4500	0.090	10	0.0150	0.500	30	0.360	2	2.560	1.000	2.000	690	1.380	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**11.2490**
3	गुमला	0.75	1	1.308	0.000	5.00	2.000	253	1.358	12500	0.250	30	0.0450	0.550	50	0.600	5	6.400	1.000	2.000	770	1.540	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**18.4010**
4	सिमडेगा	0.75	2	2.616	0.000	0.50	0.200	191	0.986	8000	0.160	25	0.0375	0.500	45	0.540	9	11.520	1.000	2.000	620	1.240	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**22.1495**
5	लोहरदगा	0.75	2	2.616	0.000	1.00	0.400	182	0.972	3500	0.070	15	0.0225	0.500	20	0.240	2	2.560	1.000	2.000	620	1.240	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**12.9705**
6	लातेहार	0.75	0	0.000	0.000	1.00	0.400	231	1.186	4000	0.080	10	0.0150	0.500	0	0.000	1	1.280	1.000	2.000	770	1.540	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**9.3510**
7	प0 सिंहभूम	0.75	1	1.308	0.000	2.00	0.800	307	1.608	7000	0.140	30	0.0450	0.550	150	1.800	6	7.680	1.000	2.000	770	1.540	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**19.8210**
8	पूर्वी सिंहभूम	0.75	0	0.000	0.000	1.00	0.400	254	1.332	4000	0.080	10	0.0150	0.500	0	0.000	4	5.120	1.000	2.000	690	1.380	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**13.1770**
9	सरायकेला	0.75	3	3.924	0.000	1.00	0.400	372	1.922	7000	0.140	80	0.1200	0.550	0	0.000	5	6.400	1.000	2.000	830	1.660	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**19.4660**
10	दुमका	0.75	1	1.308	0.000	3.50	1.400	252	1.322	5500	0.110	30	0.0450	0.550	25	0.300	9	11.520	1.000	2.000	1130	2.260	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**23.1650**
11	जामताड़ा	0.75	1	1.308	0.000	3.50	1.400	182	0.972	4000	0.080	20	0.0300	0.500	0	0.000	1	1.280	1.000	2.000	600	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**11.1200**
12	साहेबगंज	0.75	0	0.000	0.000	1.00	0.400	182	0.972	3000	0.060	0	0.0000	0.550	0	0.000	1	1.280	1.000	2.000	470	0.940	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**8.5520**
13	पाकुड़	0.75	1	1.308	0.000	1.00	0.400	172	0.922	4000	0.080	10	0.0150	0.500	0	0.000	9	11.520	1.000	2.000	490	0.980	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.600	**20.0750**
14	मत्स्य कि0 प्र0 के0, रांची	0.00	0	0.000	0.000	2.00	0.800	3	0.108	10000	0.200	0	0.0000	0.550	0	0.000	0	0.000	1.000	1.000	0	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0	0.000	**5.6580**
15	सहा0 म0 निदे0, अनुसंधान, रांची	0.00	0	0.000	0.000	0.00	0.000	5	0.180	10000	0.200	0	0.0000	0.500	0	0.000	0	0.000	1.000	1.000	0	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0	0.000	**6.8800**
16	मत्स्य निदेशालय, रांची	0.00	0	0.000	10.620	0.00	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.0000	16.475	0	0.000	0	0.000	5.000	5.000	0	0.000	8.000	25.000	4.000	10.000	0	0.000	**84.0950**
	कुल योग :	**9.75**	**15**	**19.620**	**10.620**	**24.500**	**9.800**	**3027**	**16.220**	**94500**	**1.890**	**310**	**0.4650**	**24.325**	**370**	**4.440**	**63**	**80.640**	**20.000**	**33.000**	**9450**	**18.900**	**8.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**27**	**8.100**	**310.7700**

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 तीन करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट III

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते–09–मानदेय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री								विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–21–सेमिनार/ समारोह/ कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी		विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		मत्स्य मित्रों को कार्य के अनुरुप पारिश्रमिक का भुगतान	विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिचार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रुप में अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन		निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन		मत्स्य कृषकों (बिरसा मत्स्य किसानों) की गोष्ठी का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	पुरस्कार/ सम्मान		
		वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	रॉंची	0.30	0.50	0.20	100	0.500	3500	0.0700	1	1.28	110	0.22	1	0.30	**2.8700**
2	खूँटी	0.20	0.00	0.00	40	0.200	1500	0.0300	0	0.00	50	0.10	0	0.00	**0.5300**
3	गुमला	0.20	0.00	0.00	50	0.250	3500	0.0700	1	1.28	60	0.12	0	0.00	**1.9200**
4	सिमडेगा	0.20	0.00	0.00	20	0.100	1500	0.0300	0	0.00	40	0.08	0	0.00	**0.4100**
5	लोहरदगा	0.20	0.00	0.00	40	0.200	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	1	0.30	**0.8200**
6	लातेहार	0.20	0.00	0.00	30	0.150	1500	0.0300	0	0.00	40	0.08	1	0.30	**0.7600**
7	प0 सिंहभूम	0.20	0.00	0.00	30	0.150	3500	0.0700	0	0.00	75	0.15	1	0.30	**0.8700**
8	पूर्वी सिंहभूम	0.20	0.00	0.00	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	45	0.09	1	0.30	**0.7800**
9	सरायकेला	0.20	0.50	0.20	50	0.250	3500	0.0700	0	0.00	80	0.16	0	0.00	**0.8800**
10	दुमका	0.20	0.50	0.20	30	0.150	2500	0.0500	0	0.00	150	0.30	1	0.30	**1.2000**
11	जामताड़ा	0.20	0.50	0.20	30	0.150	1500	0.0300	0	0.00	40	0.08	0	0.00	**0.6600**
12	साहेबगंज	0.20	0.00	0.00	30	0.150	1000	0.0200	0	0.00	40	0.08	0	0.00	**0.4500**
13	पाकुड़	0.20	0.00	0.00	40	0.200	2500	0.0500	0	0.00	40	0.08	0	0.00	**0.5300**
14	हजारीबाग	0.30	0.50	0.20	70	0.350	4000	0.0800	2	2.56	110	0.22	1	0.30	**4.0100**
15	रामगढ़	0.20	0.50	0.20	30	0.150	2500	0.0500	0	0.00	90	0.18	1	0.30	**1.0800**
16	कोडरमा	0.20	0.50	0.20	50	0.250	4000	0.0800	1	1.28	95	0.19	1	0.30	**2.5000**
17	चतरा	0.20	0.00	0.00	30	0.150	1500	0.0300	0	0.00	75	0.15	0	0.00	**0.5300**
18	बोकारो	0.20	0.50	0.20	50	0.250	4000	0.0800	1	1.28	95	0.19	0	0.00	**2.2000**
19	गिरिडीह	0.20	0.50	0.20	50	0.250	3000	0.0600	0	0.00	60	0.12	0	0.00	**0.8300**
20	धनबाद	0.20	0.50	0.20	45	0.225	3000	0.0600	1	1.28	70	0.14	0	0.00	**2.1050**
21	गोड्डा	0.20	0.00	0.00	45	0.225	1500	0.0300	1	1.28	45	0.09	0	0.00	**1.8250**
22	पलामू	0.20	0.50	0.20	30	0.150	1500	0.0300	0	0.00	45	0.09	0	0.00	**0.6700**
23	गढ़वा	0.20	1.00	0.40	20	0.100	1500	0.0300	0	0.00	45	0.09	0	0.00	**0.8200**
24	देवघर	0.20	0.00	0.00	60	0.300	2500	0.0500	1	1.28	160	0.32	1	0.30	**2.4500**
	कुल योग :	**5.00**	**6.50**	**2.60**	**1000**	**5.000**	**59000**	**1.1800**	**9**	**11.52**	**1700**	**3.40**	**10**	**3.00**	**31.7000**

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 इकतीस लाख उत्तर हजार रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट IV

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–35–प्रशिक्षण व्यय													विस्तृत शीर्ष–03 –प्रशासनिक व्यय– 23– आपूर्ति एवं सामग्री (वि0ल0 लाख रु0 में)		वित्तीय योग (लाख रु0 में)
		मत्स्य बीज उत्पादकों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				मत्स्य बीज उत्पादकों / मत्स्य कृषकों आदि हितधारकों का 01 से 03 दिवसीय कार्यशाला / सेमिनार (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				05 दिवसीय प्रशिक्षण / विषय आधारित प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				राज्य में / राज्य के बाहर अन्य संस्थानो में / द्वारा प्रशिक्षण–सह–स्थल भ्रमण (वि0ल0 लाख रु0 में)			
		101– अन्तर्देशीय मछली पालन	796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789– अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101– अन्तर्देशीय मछली पालन	796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789– अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101– अन्तर्देशीय मछली पालन	796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789– अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	101– अन्तर्देशीय मछली पालन	796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	राँची	0	282	100	**382**	0	100	35	**135**	0	240	65	**305**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2	खूंटी	0	130	40	**170**	0	50	15	**65**	0	190	35	**225**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
3	गुमला	0	250	50	**300**	0	80	30	**110**	0	200	40	**240**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
4	सिमडेगा	0	190	20	**210**	0	50	15	**65**	0	190	35	**225**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
5	लोहरदगा	0	180	40	**220**	0	50	25	**75**	0	200	40	**240**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
6	लातेहार	0	230	30	**260**	0	70	15	**85**	0	190	35	**225**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
7	प0 सिंहभूम	0	328	30	**358**	0	100	15	**115**	0	260	35	**295**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
8	पूर्वी सिंहभूम	0	260	30	**290**	0	90	10	**100**	0	190	35	**225**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
9	सरायकेला	0	370	50	**420**	0	149	25	**174**	0	260	55	**315**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
10	दुमका	0	250	30	**280**	0	90	15	**105**	0	300	50	**350**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
11	जामताड़ा	0	180	30	**210**	0	50	15	**65**	0	190	35	**225**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
12	साहेबगंज	0	180	30	**210**	0	50	15	**65**	0	200	35	**235**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
13	पाकुड़	0	170	40	**210**	0	50	15	**65**	0	190	35	**225**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
14	हजारीबाग	400	0	70	**470**	160	0	35	**195**	290	0	60	**350**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
15	रामगढ़	280	0	30	**310**	100	0	25	**125**	210	0	40	**250**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
16	कोडरमा	280	0	50	**330**	110	0	35	**145**	230	0	50	**280**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
17	चतरा	310	0	30	**340**	110	0	25	**135**	210	0	40	**250**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
18	बोकारो	360	0	50	**410**	150	0	35	**185**	230	0	40	**270**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
19	गिरिडीह	250	0	50	**300**	100	0	33	**133**	190	0	40	**230**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
20	धनबाद	340	0	45	**385**	120	0	30	**150**	230	0	40	**270**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
21	गोड्डा	280	0	45	**325**	100	0	30	**130**	190	0	40	**230**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
22	पलामू	340	0	30	**370**	120	0	30	**150**	210	0	40	**250**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
23	गढ़वा	300	0	20	**320**	110	0	25	**135**	210	0	40	**250**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
24	देवघर	360	0	60	**420**	150	0	35	**185**	400	0	40	**440**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	योग : भौतिक लक्ष्य	3500	3000	1000	**7500**	1330	979	583	**2892**	2600	2800	1000	**6400**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
25	म0क्रि0प्र0के0 का वि0ल0 (लाख रु0 में)	7.8750	6.7500	2.2500	**16.8750**	19.9500	14.6850	8.7450	**43.3800**	54.600	58.800	21.000	**134.400**	**13.1650**	**17.043**	**35.420**	**260.283**
26	अनुसंधान, राँची को CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए Scientists आदि के TA/DA तथा institutional charges का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	0.0000	0.0000	0.0000	**0.0000**	0.0000	0.0000	0.0000	**0.0000**	0.000	0.000	0.000	**0.000**	**12.6500**	**0.000**	**0.000**	**12.650**
	योग : वित्तीय लक्ष्य	**7.8750**	**6.7500**	**2.2500**	**16.8750**	**19.9500**	**14.6850**	**8.7450**	**43.3800**	**54.600**	**58.800**	**21.000**	**134.400**	**25.8150**	**17.043**	**35.420**	**272.933**

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 दो करोड़ बहत्तर लाख तिरानवे हजार तीन सौ रु0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट V

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार

	कार्य	1 म०कि० प्र०के०	2 अनुसंधान	3 गुमला	4 जमशेदपुर	5 सिमडेगा	6 हजारीबाग	7 कोडरमा	8 बोकारो	9 देवघर	10 दुमका	11 जामताड़ा	12 धनबाद	13 राँची	14 मत्स्य निदेशालय	कुल वित्तीय योग (लाख रु० में)
	घु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन															
i	**विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री**															
1	शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में 5000 कि०ग्रा० पंगस मछली का उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	20	0	0	0	20	10	10	30	0	0	30	0	0	120
3	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	0	0	0	20	4	0	20	0	0	10	0	0	79
5	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.80	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.80
6	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	समेकित मत्स्य पालन, रख-रखाव, नाव जाल एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम का रखरखाव एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि० ग्रा० में)	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	3000
10	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
11	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मॉगुर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
12	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मॉगुर पालन एवं प्रत्यक्षण का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
13	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत द्वितीय वर्ष के Pen, Seed & Feed का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	उप योग	12.00	38.80	0.00	0.00	0.00	6.50	2.30	1.50	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	73.10
ii	**विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-35-प्रशिक्षण व्यय**															
14	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत एक Inception & Closing workshop का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
15	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत दो Capacity building / Mass Awareness Program (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
	उप योग	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
iii	**विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय**															
16	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रथम वर्ष के Operational contingencies का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	योग : 101-अन्तर्देशीय मछली पालन:	12.00	42.35	0.00	0.00	0.00	6.50	2.30	1.50	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	76.65
ख	**लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना**															
i	**विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री**															
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	50	0	45	2	0	0	0	0	40	2	0	0	0	139
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	5.00	0.00	4.50	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.20	0.00	0.00	0.00	13.90
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	6	5	3	0	0	0	0	10	2	0	0	0	51
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	5.00	1.20	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.40	0.00	0.00	0.00	10.20
5	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
6	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि० ग्रा० में)	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	3000
7	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50
8	विभागीय तालाबों में देशी मांगुर तथा कवई आदि नई प्रजातियों के प्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
9	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मॉगुर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
10	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मॉगुर पालन एवं प्रत्यक्षण का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
11	विभागीय प्रक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रुप में पर्ल कल्चर का भौतिक लक्ष्य (यूनिट में)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
12	विभागीय प्रक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रुप में पर्ल कल्चर का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
13	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत द्वितीय वर्ष के Pen, Seed & Feed का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	उप योग	2.50	43.20	1.20	8.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.50	0.00	66.80
ii	**विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-35-प्रशिक्षण व्यय**															
14	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत एक Inception & Closing workshop का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
15	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत चार Capacity building / Mass Awareness Program (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
	उप योग	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
iii	**विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय**															
16	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रथम वर्ष के Operational contingencies का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
iv	**विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-81-सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ**															
17	आई.टी. बेस्ड कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
v	**विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय**															
18	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under – utilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत द्वितीय वर्ष के Trained Manpower – Young Professional (YP – I) (3 nos.) @ Rs. 25,000/- per month हेतु राशि (लाख रु० में)	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
19	अनुसंधान तथा जमशेदपुर केन्द्र में रंगीन मछली प्रजनन हेतु मानदेय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	उप योग	0.00	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	योग : 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना:	2.50	66.15	1.20	11.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.50	5.00	97.75
ग	**लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना**															
i	**विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री**															
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	2.50	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	16	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	3.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
	योग : 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	0.00	5.70	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70
	कुल योग	14.50	114.20	1.20	15.00	0.80	6.50	2.30	1.50	7.00	10.00	0.60	5.00	0.50	5.00	184.10

(मो० एक करोड़ चौरासी लाख दस हजार रु० मात्र)

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव